

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

[सप्तम-सत्र]

23 नवम्बर, 2016 (ई०)

बुधवार, तिथि-

02 अग्रहायण, 1938 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

-:प्रश्नोत्तर:-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

- (04)- श्री हरिकृष्ण सिंह एवं श्री लक्ष्मण टुडू, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास (ग्रामीण कार्य मामले) विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-18.11.2016 एवं 21.11.2016 से स्थगित)
- (05)-सर्वश्री प्रदीप यादव, प्रकाश राम एवं श्री रवीन्द्र नाथ महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-18.11.2016 एवं 21.11.2016 से स्थगित)
- (06)-श्री शिवशंकर उरांव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-18.11.2016 एवं 21.11.2016 से स्थगित)
- (07)- श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-18.11.2016 एवं 21.11.2016 से स्थगित)
- (08) श्री अरूप चटर्जी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:- 21.11.2016 से स्थगित)

कृ०पृ०३०/-

- (09)- श्री राधाकृष्ण किशोर,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:- 21.11.2016 से स्थगित)
- (10)- श्रीमती गीता कोडा एवं श्रीमती जोबा मांझी,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:- 21.11.2016 से स्थगित)
- (11)- श्री योगेश्वर महतो,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:- 21.11.2016 से स्थगित)
- (12)-सर्वश्री शशिभूषण सामाड़,कुणाल षाड़ंगी एवं श्री प्रदीप यादव,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (विधि विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:- 21.11.2016 से स्थगित)
- (13) श्री आलमगीर आलम,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (14)- श्री राज सिन्हा,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (15)- श्री मनीष जयसवाल,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (16)- श्री प्रकाश राम एवं श्री प्रदीप यादव,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (17)- प्रो० स्टीफन मराण्डी,श्री नलिन सोरेन एवं डॉ० अनिल मुर्मू,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

- (18)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा के समक्ष कागजात का रखा जाना :-

- (19)- संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम-2002 की धारा -14 के अधीन वित्तीय वर्ष- 2015-16 अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016 तक का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा मेज पर रखा जाना।
- (20)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(21)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: विधायी कार्य :-

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016

- (22)- वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर(संशोधन) विधेयक, 2016" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (23)- वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (24)- वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर(संशोधन) विधेयक, 2016" पर विचार हो।
- (25)- वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर(संशोधन) विधेयक, 2016" स्वीकृत हो।

बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016

- (26)- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली(झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (27)- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (28)- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली(झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016" पर विचार हो।
- (29)- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली(झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016" स्वीकृत हो।

झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार विधेयक, 2016

- (30)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार विधेयक, 2016" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (31)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (32)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार विधेयक, 2016" पर विचार हो।

- (33)- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार विधेयक, 2016" स्वीकृत हो।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908(संशोधन) विधेयक, 2016

- (34)- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908(संशोधन) विधेयक, 2016" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (35)- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (36)- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 (संशोधन) विधेयक, 2016" पर विचार हो।
- (37)- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 (संशोधन) विधेयक, 2016" स्वीकृत हो।

संथाल परगना काश्तकारी(अनुपुरक अनुबंध) अधिनियम

1949(संशोधन) विधेयक, 2016

- (38)- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "संथाल परगना काश्तकारी(अनुपुरक अनुबंध) अधिनियम 1949(संशोधन) विधेयक, 2016" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (39)- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (40)- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "संथाल परगना काश्तकारी(अनुपुरक अनुबंध) अधिनियम 1949(संशोधन) विधेयक, 2016" पर विचार हो।
- (41)- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "संथाल परगना काश्तकारी(अनुपुरक अनुबंध) अधिनियम 1949(संशोधन) विधेयक, 2016" स्वीकृत हो।

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016

- (42)- ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (43)- ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

- (44)- ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016" पर विचार हो।
- (45)- ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016" स्वीकृत हो।

**झारखण्ड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार
(विनियमन) विधेयक 2016**

- (46)- श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार (विनियमन) विधेयक 2016" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (47)- श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (48)- श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार (विनियमन) विधेयक 2016" पर विचार हो।
- (49)- श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार (विनियमन) विधेयक 2016" स्वीकृत हो।

झारखण्ड निजी साहूकार (निषेध) विधेयक, 2016

- (50)- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड निजी साहूकार (निषेध) विधेयक, 2016" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (51)- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (52)- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड निजी साहूकार (निषेध) विधेयक, 2016" पर विचार हो।
- (53)- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाउरी प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड निजी साहूकार (निषेध) विधेयक, 2016" स्वीकृत हो।
- (54)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ०पृ०३०/-

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०७/२०१६-...../वि०स०,राँची,दिनांक-.....,२०१६ई०।

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/
माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/
महाधिवक्ता,झारखण्ड,राँची/लोकसभा,नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सरोज कुमार)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०७/२०१६-...../वि०स०,राँची,दिनांक-..... २०१६ई०।

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय
को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(सरोज कुमार)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०७/२०१६-...../वि०स०,राँची,दिनांक-..... २०१६ई०।

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/
पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सरोज कुमार)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

फैजान/-

२२/११/१६